प्रतिवेदन

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.350 हे0 वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 2380/111(2)/16—06 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016 द्वारा 3.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 30.00 लाख की प्राप्त हुई हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28.'00 से प्रारम्भ हो कर ग्राम धानई तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम देवलगढसारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1—वन पंचायत भूमि 0.500 कि0मी0 x 7 मी0	=	0.350 हे0
2—नाप भूमि 0.700 कि0मी0 x 7मी0	=	0.490 हे0
3—मक डिस्पोजल हेतु	=	0.020 हे0
योग	=	0.860 हे0 ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.350 है0 वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

H.D.Singh

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर